FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

सरकार जरिये तहसीलदार बेगूं बनाम भंवरलाल व अन्य

करम मुकदमा .... नं. 47/19 .... सन् ....

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
27.06.2019	पत्रावली पेश हुई। भूमिधारी तहसीलदार व सभी पक्षकार उपस्थित। सभी पक्षकारो ने ग्राम आमल्दा आराजी न. 712 व 718 किता 2 रकबा कुल 2-63 हैक्टेयर मे हिस्से नही होने से उपस्थित सभी पक्षकारो/सहखातेदारो ने आपसी सहमती से हिस्से बताये जो निम्न है। श्री मांगीलाल पि० देवा 2/27 देवा पि० बालू 1/27 गोकल प्यारा पि० बालू हि० ब० 2/9 नाथीबाई पत्नि स्व० देवीलाल 1/36 मोहनलाल 1/36 कस्तुरीबाई 1/36 चांदीबाई 1/36 पि० नेदा 1/36, मांगीलाल रामचंद्र कजोडीबाई सुन्दरबाई सोहनीबाई पिता लालु हि० ब० 1/9 भंवरलाल इदराम प्रेमबाई पि० हेमा नानीबाई पत्नि स्व० हेमा हि० ब० 1/18 गीता पिता हजारी 1/18 काना टोडर मांगी पिता भेरु हि० ब० 1/6 प्रहलाद पि० भोला राजी बरामी गोपी एजन गंगा पिता भोला, रमेश पिता मोहन (माता-नाथीबाई) हि० ब० 1/6 बलाई सा.देह खातेदार रहन-बदस्तुर जमाबंदी अनुसार हमने उक्तानुसार खातेदारो द्वारा बताये गए हिस्से मजमे आम मे रखा गया जिसमें सभी ने सही होने बाबत् सहमती प्रकट की गई। अत: सहखातेदारो की सहमती तहसीलदार बेगूं की रिपोर्ट व DILRMP के तहत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश/परिपत्र/क्रमांक/BR/LR/NLRMP F-126/पार्ट-2/10164-96 दिनांक 26.9.2017 के अनुसार उपरोक्तवर्णितानुसार सहखातेदारो-	प्रहलाद अ.नि. काना [signature] इदराम मांगीलाल टोडर गोकल अ.नि. प्यारा देवा मोहन अ.नि. नाथीबाई अ.नि. गीताबाई अ.नि. कजोडी अ.नि. चांदीबाई प्रेम [signature]

लगातार - -

Scanned by CamScanner

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व [illegible] जो इस हुक्म में जारी हुए
	के हिस्से की घोषणा की जाती है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।। [signature] सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़)	मांगीलाल रामचन्द्र अ.नि. [illegible] अ.नि. सुन्दरबाई अ.नि. [illegible]

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 47/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

वादी

बनाम

1. भंवरलाल पिता हेमा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
2. मांगीलाल पिता देवा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
3. देवा पिता बालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
4. गोकल पिता बालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
5. प्यारा पिता बालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
6. नाथीबाई पत्नि स्व. देवीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
7. मोहनलाल पिता नन्दा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
8. कस्तुरीबाई पिता नन्दा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
9. चांदी बाई पिता नन्दा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
10. मांगीलाल पिता लालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
11. रामचन्द्र पिता लालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
12. कजोडीबाई पिता लालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
13. सुन्दर बाई पिता लालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
14. सोहनी बाई पिता लालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
15. दुदाराम पिता हेमा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
16. प्रेमबाई पिता हेमा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
17. नानीबाई पत्नि स्व. हेमा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
18. गीता पिता हजारी बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
19. काना पिता भेरू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
20. टोडर पिता भैरू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
21. मांगी पिता भैरू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
22. प्रहलाद पिता भोला बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
23. राजी पिता भोला बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
24. बदामी पिता भोला बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
25. गोपी पिता भोला बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
26. एजन पिता भोला बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
27. गंगा पिता भोला बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
28. रमेश पिता मोहन माता नाथी बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार वादी
प्रतिवादीगण सं. 1से 28

निर्णय दिनांक : 27.06.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. **DILRMP** के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश / परिपत्र / कमांक / बीआर / एलआर/एन.एल.आर.एम.पी./एफ–126 /पार्ट–2/10164–96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौडगढ)

Scanned by CamScanner

एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट नंदवाई पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया,दिनांक 18.06.2019 को सभी काश्तकार उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली को आगामी पेशी 27.06.2019 को नियत की गई।

वाद पत्र में तहसीलदार बेगूं द्वारा उनके पत्रांक 853 दिनांक 31.05.2019 से अवगत कराया कि ग्राम आमल्दा में खाता संख्या 172 सं. 2071–74 आराजी संख्या 712, 718 किता– 2 रकबा 2.63 हैक्टर मांगीलाल पितादेवा 2/27, देवा पिता बालु 1/27 गोकल प्यारा पिता बालु 2/9 नाथीबाई पत्नि स्व0 देवीलाल मोहनलाल कस्तुरीबाई चांदीबाई पिता नंदा मांगीलाल रामचन्द्र कजोडीबाई सुन्दरबाई सोहनीबाई पिता लालु, भंवरलाल दूदाराम प्रेमबाई पिता हेमा नानीबाई पत्नि स्व. हेमा गीता पिता हजारी हि.ब. काना टोडर मांगी पिता भैरू प्रहलाद राजी बदामी गोपी एजन गंगा पिता भोला रमेश पिता मोहन (माता नाथी) हि.ब. बलाई सा0देह खातेदार के नाम दर्ज होकर हिस्सेदर्ज नहीं है। अतःसरकार का कार्यक्रम **DILRMP** के तहत खातो के हिस्से डालकर उन्हें ऑनलाईन किया जाना आवश्यक है। सरकार के आदेश क्रमांक 10164–96 के तहत उनके हिस्से करना आवश्यक होने के कारण आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 सह एल आर.एक्ट 136 के तहत घोषणा किये जाने की अनुशंषा की गई।

प्रतिवादीगण जरिये नोटिस तलब किया जाकर लोक अदालत कैम्प ग्राम नंदवाई पर दिनांक 27.06.2019 को रखाया गया, पत्रावली में समस्त प्रतिवादीगण उक्त तारीख पर उपस्थित आए जिन्हें कैम्प कोर्ट में सुना गया, प्रतिवादीगण उपस्थित पक्षकारो ने बताया कि मौजा आमल्दा में वादवर्णित आराजी उनकी पैतृक है। इन आहराजी भूमि को रामा कालु पिता परसा व बरदा पिता हरा द्वारा हिस्सा बराबर से निर्माण किया गया। इन आराजीयात में रामा 1/3 कालु 1/3 बरदा 1/3 हिस्से बनते है तथा इसी अनुसार काबिज है। अतः 1/3–1/3–1/3 हिस्सानुसार इनके वारिसान के हिस्से दर्ज किया जावे तो सभी प्रतिवादीगण पक्षकार सहमत है। रेकार्ड का अवलोकन किया गया। सैटलमेन्ट जमाबंदी में खाता संख्या 28 पर गोपाल बालु घासी पिता रामा हि.ब. नन्दा लालु हजारी पिता कालु हि.ब. भैरू भोला पिता बरदा हि.ब. जाति बलाई सा0देह खातेदार के नाम दर्ज है। सेटलमेन्ट से पूर्वका रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। विरासत व अन्य दान कार्यवाही से वर्तमान खाता दर्ज हुआ है। ना0सं0 905 देवा पिता बालु द्वारा स्वयं के निहित हिस्से मे से 2/27 हिस्सा पुत्र मांगीलाल पिता देवा को दान किया गया जिसका ना.सं. 905 में भी हिस्सेदर्ज होकर स्वीकृत हुआ है। जो 1/3–1/3–1/3 हिस्से अनुसार ही है परन्तु आगामी जमाबंदी रोटेशन में हिस्से दर्ज नहीं किये। मजमें आम में जानकारी की गई जिसमें वाद वर्णित भूमि किता– 2 रकबा 2.63 हैक्टर मे रामा का 1/3 कालु का 1/3 व बरदा का 1/3 हिस्सा होना बताया गया तथा इसी हक

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

हिस्से से इनके वारिसान काबिज है। मजमेंआम की जानकारी व प्रतिवादीगण पक्षकारो की सहमति होने के उपरान्त हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत मौजा आमल्दा की आराजी सम्बन्धी सभी दस्तावेज एवं रिकोर्ड का अवलोकन किया गया । राज्य सरकार के निर्देश **DILRMP** के तहत सहखातेदारान के संयुक्त खातो में दर्ज हिस्सो को अलग अलग घोषित किये जाने के निर्देश होने एवं वाद वर्णित आराजीयात सेटलमेन्ट के समय से ही वर्णित आराजीयात का खातासंयफकत ही दर्ज राजस्व रिकोर्ड होने से सहखातेदारान के हिस्से अलग अलग दर्ज किये जाने की घोषणा किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा आमल्दा की खाता नं. 172 सं. 2071–74 में अंकित आराजी संख्या 712, 718 किता– 2 रकबा 2.63 हैक्टर भूमि में श्री मांगीलाल पिता देवा 2/27, देवा पिता बालु 1/27, गोकल प्यारा पिता बालु हि.ब. 2/9, नाथीबाई पत्नि स्व. देवीलाल 1/36 मोहनलाल 1/36, कस्तूरीबाई 1/36, चांदीबाई पिता नंदा 1/36, मांगीलाल रामचन्द्र कजोडीबाई सुन्दरबाई सोहनीबाई पिता लालु हि.ब.1/9 भंवरलाल दूदाराम प्रेमबाईपिता हेमा नानीबाई पत्नि स्व. हेमा हि.ब.1/18 गीता पिता हजारी 1/18 काना टोडर मांगी पिता भेरू हि.ब. 1/6 प्रहलाद पिता भोला, राजी बदामी गोपी एजन गंगा पिता भोला, रमेश पिता मोहन (माता नाथी) हि.ब. 1/6 बलाई सा0देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबंदी रखे जाने की घोषणा की जाती है। उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए । उक्त निर्णय की डिकी तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को कोर्ट कैम्प नंदवाई पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

27/6/19

(रमेशचन्द्र धेपुनाडिया)
सहायक (कलेक्टर, (उपखण्ड) अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 48/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़
वादी

बनाम

1. देवा पिता बालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
2. गोकल पिता बालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
3. प्यारा पिता बालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
4. नाथीबाई पत्नि स्व. देवीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
5. मोहनलाल पिता नन्दा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
6. कस्तुरीबाई पिता नन्दा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
7. चांदी बाई पिता नन्दा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
8. मांगीलाल पिता लालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
9. रामचन्द्र पिता लालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
10. कजोडीबाई पिता लालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
11. सुन्दर बाई पिता लालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
12. सोहनी बाई पिता लालू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
13. भंवरलाल पिता हेमा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
14. दुदाराम पिता हेमा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
15. प्रेमबाई पिता हेमा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
16. नानीबाई पत्नि स्व. हेमा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
17. गीता पिता हजारी बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
18. काना पिता भेरू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
19. टोडर पिता भैरू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
20. मांगी पिता भैरू बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
21. प्रहलाद पिता भोला बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
22. राजी पिता भोला बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
23. बदामी पिता भोला बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
24. गोपी पिता भोला बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
25. एजन पिता भोला बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
26. गंगा पिता भोला बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
27. रमेश पिता मोहन माता नाथी बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट एवं 136 एल. आर.एक्ट में आज दिनांक 27.06.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष कोर्ट कैम्प नंदवाई पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिकी निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 एवं धारा 136 एल.आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा आमल्दा की आराजी संख्या 663, 697, 698,

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 एवं धारा 136 एल.आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा आमल्दा की खाता नं. 172 सं. 2071–74 में अंकित आराजी संख्या 712, 718 किता– 2 रकबा 2.63 हैक्टर भूमि में श्री मांगीलाल पिता देवा 2/27, देवा पिता बालु 1/27, गोकल प्यारा पिता बालु हि.ब. 2/9, नाथीबाई पत्नि स्व. देवीलाल 1/36 मोहनलाल 1/36, कस्तूरीबाई 1/36, चांदीबाई पिता नंदा 1/36, मांगीलाल रामचन्द्र कजोडीबाई सुन्दरबाई सोहनीबाई पिता लालु हि.ब. 1/9 भंवरलाल दूदाराम प्रेमबाईपिता हेमा नानीबाई पत्नि स्व. हेमा हि.ब.1/18 गीता पिता हजारी 1/18 काना टोडर मांगी पिता भेरू हि.ब. 1/6 प्रहलाद पिता भोला, राजी बदामी गोपी एजन गंगा पिता भोला, रमेश पिता मोहन (माता नाथी) हि.ब. 1/6 बलाई सा0देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबंदी रखे जाने की घोषणा की जाती है। उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए । उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 27.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

27/6/19

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड) अधिकारी
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner